न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 132 / 2015

1 मन्नी देवी पुत्री हरिबक्स धर्मपत्नी गंगाराम जाति कुमावत निवासी रघुनाथगढ़ हाल आबाद मण्डावरा तहसील व जिला सीकर।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलांट

बनाम

1 सरोज उर्फ मोन्टू तथाकथित पुत्री श्री पूरणमल कुमावत जाति बलाई निवासी ग्राम रघुनाथगढ़ तहसील व जिला सीकर हाल आबाद सिरसा हरियाणा।
2 उप पंजियक सीकर।
3 तहसीलदार सीकर भू–धारक राजस्थान सरकार।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 27.10.2015
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय सीकर
उनवानी मन्नी देवी बनाम सरोज आदि मुकदमा
संख्या 47 / 2014 आवेदन अस्थाई निषेधाज्ञा अपील
अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री विजय कुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री ओमप्रकाश जांगिड़, अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री रजनीश खीचड़, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 03.01.2020

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 47/2014 में पारित निर्णय दिनांक 27.10.2015 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी अपीलांट ने विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत भूमि खसरा नम्बर गत 309 हाल 1923 वाके ग्राम रघुनाथगढ़ तहसील व जिला सीकर प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने अप्रार्थी संख्या 1 का जवाब प्राप्त कर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से आवेदन खारिज किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि भगवाना व बिड़दी के खातेदारी की है अपीलांट उनके दितीय श्रेणी के वारिसान होकर काबिज काश्त है। राजस्व रिकार्ड गलत दर्ज हुआ है इसका निर्णय मूलवाद में होना है। मूलवाद के निर्णय से पूर्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी रखना विधि सम्मत है। इससे पक्षकारों में वाद बाहुल्यता नही होगी। विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया है। जो विधि विरूद है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि रेस्पोडेंट पूर्णमल की जायन्दा पुत्री है अत उसका विरासतन का अधिकार सुरक्षित है पूर्णमल ना

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

औलाद फौत नही हुआ है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है अपील सारहीन है अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रकरण में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1923 रकबा 1.51 हैक्टेयर वाके ग्राम रघुनाथगढ़ की खातेदारी जमाबन्दी संवत 2069–72 के अनुसार पूरणमल पुत्र मंगलचन्द जाति चेजारा के नाम दर्ज है। इससे पूर्व भूमि बिड़दी बेवा भगवाना के नाम दर्ज थी। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत सजरा खानदान में फतुराम बबेरवाल को पूर्वज मानते हुये प्रार्थीया को वारिस मानते हुये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। इस सम्बंध में राजस्व रिकार्ड का कोई भी दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है कि कालान्तर में उक्त विवादित भूमि फतुराम बबेरवाल के नाम से दर्ज रही हो जिसके आधार पर यह माना जा सके कि प्रार्थीया का उक्त विवादित भूमि में किसी प्रकार का हक व हिस्सा बनता हो। दुसरी और अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पूरणमल की वारिस होने का कथन किया गया है। इसके सम्बंध में पत्रावली पर उपलब्ध दावा विमला पुत्री मंगलचन्द बनाम राज्य सरकार जरिये तहसीलदार मुकदमा नम्बर 597/2011 प्रस्तुत किया गया था जिसमें विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 29.11.2011 को निर्णय पारित कर तहसीलदार को निर्देशित किया गया था कि पूर्णमल के वारिसान की जांच कर विरासत के आधार पर खसरा नम्बर 1923 की खातेदारी दर्ज की जावे। उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार द्वारा निर्णय दिनांक 14.03.2014 को कर अप्रार्थी संख्या 1 सरोज को पूर्णमल का प्रथम श्रेणी का वारिस मानते हुये पारित किया है। इस प्रकार वर्तमान में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु अपीलांट के पक्ष में नही होकर रेस्पोडेंट के पक्ष में साबित है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत पाया जाता है।

राजस्व अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 03.01.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर